तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/12/25	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी करौली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:00:25 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1. उगड़ सिंह पुत्र भजन सिंह (फौत)
   1/1. जयसिंह
   1/2. करतार सिंह
   1/3. समय सिंह
   1/4. गजराज सिंह
   1/5. समत बाई
   1/6. उम्मेदबाई
   पुत्र पुत्रीयान उगड सिंह
   1/7. शीला देवी पत्नि स्व. महाराज सिंह पुत्र उगड़ सिंह
   1/8. रोशनी पुत्री महाराज सिंह
   1/9. महावीर सिंह पुत्र महाराज सिंह
   सभी जाति राजपूत निवासीयान मेला गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली तहसील व जिला करौली
2. तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील–करौली

–प्रतिवादीगण

दावा घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 व 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 16/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री हेमराज सैनी, एडवाकेट मिनजानिब मुदई रूबरू ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वा विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जा हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15.12.2025 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.05.01 13:00:25 IST
Reason: SelfAttested

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्ज		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—16/17

तारीख रजु:—5.6.17

उनवान

1. उगड़ सिंह पुत्र भजन सिंह (फौत)

1/1. जयसिंह	पुत्र पुत्रीयान उगड सिंह
1/2. करतार सिंह	
1/3. समय सिंह	
1/4. गजराज सिंह	
1/5. समत बाई	
1/6. उम्मेदबाई	

1/7. शीला देवी पत्नि स्व. महाराज सिंह पुत्र उगड़ सिंह

1/8. रोशनी पुत्री महाराज सिंह

1/9. महावीर सिंह पुत्र महाराज सिंह

सभी जाति राजपूत निवासीयान मेला गेट बाहर करौली तहसील व जिला करौली

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली तहसील व जिला करौली
2. तहसीलदार साहब लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहिब तहसील करौली

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.05.01 13:00:25 IS
Reason: SelfAttested

दावा घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88 व 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांक :–15.12.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कि वाके करबा करौली तह0 व जिला करौल में स्थित ख0 नं0 8640 रकवा 17 विस्वा व ख0 नं0 8661 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा जिसके साविक खं0 नं0 6669 रकवा 17 विस्व व साविक खं0 नं0 6685 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा व खं0 नं0 6684 मिन रकवा 2 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 9 विस्वा स्थित है। जो वादी की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसको वादी अपने लडकों के साथ काश्त करता चला आ रहा है। हाल खसरा नं0 8640 रकवा 17 विस्वा व खसरा नं0 8661 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा वाके करबा करौली जिनके साविक खसरा नं0 6669 रकवा 17 विस्व व साविक खं0 नं0 6685 रवका 2 बीघा 10 विस्वा व खं0 नं0 6684 मिन रकवा रकवा 2 विस्वा है। जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो साविक खसरा नं0 6669 व 6685 सम्वत 2010 लगायत व सम्वत 1999 लगायत 1993 के राजस्व रिकार्ड में मु. छोटी वेवा कन्हैया जाति मोगिया राजपूत के नाम दर्ज है। जिसको सेटिलमेंट कर्मचारियों ने बिना जांच पडताल के सम्वत 2015 में चारागाह दर्ज कर दी जबकि सेटिलमेंट कर्मचारियों को साविक राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन को बिना किसी कारण व बिना किसी अधिकार के वक्त सेटिलमेंट परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। आराजी ख0 न0 8640 रकवा 17 विस्वा व खसरा नं0 8661 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा को प्रार्थी पुश्तैनी तौर पर वादी के बाबा इन्दर सिंह के समय से ही काश्त करते चले आ रहे हैं। इन्दर सिंह के दो बलखण्डी व हरफूल हुये बलखण्डी के कन्हैया तथा हरफूल के भ[illegible] व मनोहर हुये कन्हैया व मनोहर लाऔलाद फोत हो गये कन्हैया की वेवा मु. छोटी के खाते में उपरोक्त आराजी करती रही मु. छोटी वेवा कन्हैया के फौत होने पर वादी उपरोक्त आराजीयात को करता चला आ रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.01 13:00:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

है। वादी का सजरा मद नंबर 3 में दर्ज है। सम्वत 2010 लगायत 2013 व सम्वत 1990 लगायत 1993 के राजस्व रिकार्ड में छोटी वेवा कन्हैया के साविक ख0 नं0 6669, 6685 लगायत 6691 कुल रकवा 8 बीघा 6 विस्वा रहा है। जिनमें से साविक खसरा नं0 6669 व 6685 चारागाह ना होते हुये भी बिना किसी अधिकार के सुनवाई का अवसर दिये बगैर चारागाह दर्ज कर दी जिनके हाल खं0 नं0 8640 व 8661 है। जो मौके के विपरीत व गैर कानूनी है। इससे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त के अधिकार प्रभावित होते हैं व जबकि सेटिलमेंट कर्मचारियों को साविक रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार न होते हुए भी रिकार्ड में गलत इन्द्राज किये हैं जबकि वादी सेटिलमेंट पूर्व से ही अपने पिता के समय से विवादित आराजीयात को काश्त करता चला आ रहा है इसके अलावा मु. छोटी वेवा कन्हैया की अन्य खातेदारी की जमीन सेटिलमेंट पूर्व से ही काश्त कर रहा है और आज भी काविज हैं। इसलिये खं0 नं0 8640 व 8661 की घोषणा वादी अपने हक में कराने का अधिकारी है और राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने का अधिकारी है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के पास में हल्का पटवारी के दिनांक 29.12.2016 को पहुंचने पर तथा हल्का पटवारी द्वारा बताने पर की यह विवादित आराजीयात तो सरकारी भूमि है इसको तुम क्यों काश्त कर रहें हो। तब वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ वादी ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 के यहां निवेदन करने पर भी उक्त इन्द्राज को दुरूस्त नहीं करने पर वादी को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस 4.1.2017 को दिया नोटिस की म्याद गुजरने पर भी वादी की विवादित आराजीयात के इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की और ना ही राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया और ना ही कोई नोटिस का जवाब भेजा इसलिये वादी विवादित आरजीयात की [illegible] कराने का अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में [illegible] का अधिकारी है। और हल्का पटवारी द्वारा कब्जे काश्त में व्यवधान डालने पर जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जो का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नंबर 8640 रकबा 0.17 बीघा व खसरा नंबर 8661 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में चारागा व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज है। सेंटलमेंट जमाबंदी संवत 2015 में भी खसरा नंबर 8640 करबा 0.17 बीघा व खसरा नंबर 8661 रकबा 2. 12 बीघा चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। अंतः में दावा वादी निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 8440 रकबा 17 बिस्वा एवं खसरा नंबर 8661 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा वांके कस्बा करौली तहसील करौली वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी मुस. छोटी बेवा कन्हैया के समय की रही है।

––वादी

2. आया विवादित आराजी खसरा नंबर 8440 व 8661 वांके कस्बा करौली वादीगण की पुश्तैनी आराजी होते हुए सेंटलमेंट कर्मचारियों ने बगैर जांच किये अवैध रूप से चारागाह दर्ज कर दी है। इसलिये वादीगण अपने हक में घोषणा कराने के अधिकारी है।

––वादी

3. आया वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान डालने के कारण प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराने के अधिकारी है।

––वादी

4. अनुतोष :–

Signature Not Verifi
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.01 13:00:2
Reason: SelfAttested

वाद विवाद्यक बिन्दू साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी जयसिंह पीडब्ल्यू–1 के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में नकल सेंटलमेंट जमाबंदी प्रदर्श–1, खसरा टीप

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

संवत 1991 से 1993 प्रदर्श–2, खसरा टीप संवत 2090–93 प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4, खसरा गिरदावरी संवत 2010–13 प्रदर्श–6 व 7 एवं जमाबंदी खतौनी प्रदर्श–8, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–9, पोस्ट ऑफिस रसीद प्रदर्श–10, एडी रसीद प्रदर्श–11, रजिस्टर्ड नोटिस धारा 80 सीपीसी प्रदर्श–12, जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–13, लगान रसीद प्रदर्श–14 लगायत 17 प्रदर्श प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये है।

बहस वकील वादी व पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि वाके कस्बा करौली तह0 व जिला करौल में स्थित ख0 नं0 8640 रकवा 17 विस्वा व ख0 नं0 8661 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा जिसके साविक खं0 नं0 6669 रकवा 17 विस्व व साविक खं0 नं0 6685 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा व खं0 नं0 6684 मिन रकवा 2 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 3 बीघा 9 विस्वा स्थित है। जो वादी की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसको वादी अपने लडकों के साथ काश्त करता चला आ रहा है। हाल खसरा नं0 8640 रकवा 17 विस्वा व खसरा नं0 8661 रकवा 2 बीघा 12 विस्वा वाके कस्बा करौली जिनके साविक खसरा नं0 6669 रकवा 17 विस्व व साविक खं0 नं0 6685 रवका 2 बीघा 10 विस्वा व खं0 नं0 6684 मिन रकवा रकवा 2 विस्वा है। जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो साविक खसरा नं0 6669 व 6685 सम्वत 2010 लगायत व सम्वत 1999 लगायत 1993 के राजस्व रिकार्ड में मु. छोटी वेवा कन्हैया जाति मोगिया राजपूत के नाम दर्ज है। जिसको सेटिलमेंट कर्मचारियों ने बिना जांच पडताल के सम्वत 2015 में चारागाह दर्ज कर दी जबकि सेटिलमेंट कर्मचारियों को साविक राजस्व रिकार्ड में दर्ज अंकन को बिना किसी कारण व बिना किसी अधिकार के वक्त सेटिलमेंट परिवर्तित क[illegible] का कोई अधिकार नही है। आराजी ख0 न0 8640 रकवा 17 विस्वा व खसरा नं0 8661 रकवा 1 बीघा 12 विस्वा को प्रार्थी पुश्तैनी तौर पर वादी के बाबा इन्दर सिंह के समय से ही काश्त करते चले आ रहे हैं। इन्दर सिंह के दो लडके बलखण्डी व हरफूल हुये बलखण्डी के कन्हैया तथा हरफूल के भजन व मनोहर हुये कन्हैया व मनोहर लाऔलाद फोत

[illegible] अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem F
Date: 2026.05.01 13:00:25
Reason: SelfAttested

हो गये कन्हैया की वेवा मु. छोटी के खाते में उपरोक्त आराजी करती रही मु. छोटी वेवा कन्हैया के फौत होने पर वादी उपरोक्त आराजीयात को करता चला आ रहा है। वादी का सजरा मद नंबर 3 में दर्ज है। सम्वत 2010 लगायत 2013 व सम्वत 1990 लगायत 1993 के राजस्व रिकार्ड में छोटी वेवा कन्हैया के साविक खं0 नं0 6669, 6685 लगायत 6691 कुल रकवा 8 बीघा 6 विस्वा रहा है। जिनमें से साविक खसरा नं0 6669 व 6685 चारागाह ना होते हुये भी बिना किसी अधिकार के सुनवाई का अवसर दिये बगैर चारागाह दर्ज कर दी जिनके हाल खं0 नं0 8640 व 8661 है। जो मौके के विपरीत व गैर कानूनी है। इससे वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त के अधिकार प्रभावित होते हैं व जबकि सेटिलमेंट कर्मचारियों को साविक रिकार्ड में परिवर्तन करने का अधिकार न होते हुए भी रिकार्ड में गलत इन्द्राज किये हैं जबकि वादी सेटिलमेंट पूर्व से ही अपने पिता के समय से विवादित आराजीयात को काश्त करता चला आ रहा है इसके अलावा मु. छोटी वेवा कन्हैया की अन्य खातेदारी की जमीन सेटिलमेंट पूर्व से ही काश्त कर रहा है और आज भी काविज हैं। इसलिये खं0 नं0 8640 व 8661 की घोषणा वादी अपने हक में कराने का अधिकारी है और राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने का अधिकारी है। वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि के पास में हल्का पटवारी के दिनांक 29.12.2016 को पहुंचने पर तथा हल्का पटवारी द्वारा बताने पर की यह विवादित आराजीयात तो सरकारी भूमि है इसको तुम क्यों काश्त कर रहें हो। तब वादी ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ वादी ने प्रतिवादी नं0 1 व 2 के यहां निवेदन करने पर भी उक्त इन्द्राज को दुरूस्त नहीं करने पर वादी को 80 सी0पी0सी0 का नोटिस 4.1.2017 को दिया नो[illegible] पर भी वादी की विवादित आराजीयात के इन्द्राज [illegible] नहीं की[illegible] ना ही राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया और न[illegible] कोई नोटिस का जवाब भेजा इसलिये वादी विवादित आरजीयात की घोषणा कराने का अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। और हल्का पटवारी द्वारा कब्जे काश्त में व्यवधान डालने पर जरिये

अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.01 13:00:25
Reason: SelfAttested

स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने का अधिकारी है। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

सरकार पैरोकार का बहस में कथन है कि खसरा नंबर 8640 रकबा 0.17 बीघा व खसरा नंबर 8661 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड मं चारागा व अन्य सामान्य काम हेतु दर्ज है। सेंटलमेंट जमाबंदी संवत 2015 में भी खसरा नंबर 8640 करबा 0.17 बीघा व खसरा नंबर 8661 रकबा 2.12 बीघा चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। अंतः में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील का मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार हैः–

विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इन विवाद्यकों के संबंध में नकल सेंटलमेंट जमाबंदी प्रदर्श–1, खसरा टीप संवत 1991 से 1993 प्रदर्श–2, खसरा टीप संवत 2090–93 प्रदर्श–3 व प्रदर्श–4, खसरा गिरदावरी संवत 2010–13 प्रदर्श–6 व 7 एवं जमाबंदी खतौनी प्रदर्श–8, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–9 पेश की है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी चारागाह भूमि दर्ज है। लगान रसीद वादी द्वारा जो प्रस्तुत की गई प्रदर्श–14 लगायत 17 में कोई खसरा नंबर एवं खाता संख्या दर्ज नहीं है एवं प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2015 में भी वादग्रस्त भूमि चारागाह दर्ज है। संवत 2010–13 की जमाबंदी वादी द्वारा वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं की गई है। [illegible] तहसीलदार, करौली दिनांक 5.8.2025 से वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं होना साबित है। खसरा गिरदावरी से वादी को चारागाह भूमि में कोई खातेदारी अधिकार विधि अनुसार प्राप्त नहीं होते है। अतः विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.01 13:00:25
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में भूमि अपने खातेदारी होने का कोई राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है बल्कि वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2015 प्रदर्श–1 में चारागाह भूमि दर्ज है एवं वर्तमान जमाबंदी संवत 2072–75 प्रदर्श–12 में भी भूमि चारागाह दर्ज जो राज्य सरकार की खातेदारी में है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 3 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 ता 3 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि चारागाह भूमि राजकीय भूमि है। जिसमें वादीगण को कोई खातेदारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि उनके खातेदारी की होने की कोई जमाबंदी भी पत्रावली में पेश नहीं की है। खसरा गिरदावरी से कोई खातेदारी अधिकार वादीगण को चारागाह भूमि में प्राप्त नहीं होते है। दावा वादीगण चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज

Signature Not Verified

Digitally Signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:00:25 IST
Reason: SelfAttested